प्रेस नोट दिनाँक-02.09.2021

(1). आज दिनाँक 02.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद के दूर दराज ग्रामों से आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामींण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत मो0नं0 8810747614 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आबकारी एवं पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र राकेश निवासी डुडैली थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में धारा धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). आज दिनाँक-02.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना मऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये।

1. महोदय द्वारा महिला हेल्प डेस्क में जनशिकायत रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर का अवलोकन कर डियूटी में नियुक्त महिला आरक्षी को आवश्यक निर्देश दिये गये
2. महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रजिस्टर नं0 4 का अवलोकन कर अद्यावधिक रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
3. महोदय द्वारा भूमि विवादों को समाधान दिवस में राजस्व टीम के सहयोग से निस्तारण कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को निर्देशित किया गया।
4. थाना परिसर, बैरिक एवं भोजनालय की साफ-सफाई हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को आवश्यक निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी, पीआरओ0 श्री राजीव कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध थाना मऊ श्री ब्रजेश कुमार यादव एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 02.09.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा आर्यावर्त बैंक, बाजार कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम बांधी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा कर्वी क्षेत्र के पुरानी कोतवाली चौराहा, धुस मैदान, भैरोपागा, पुरानी बाजार जाकर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी मंदिर एवं कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनंदी माता मंदिर, बस स्टैंड, बाजार रोड मऊ, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन व मोड़ कालोनी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया।

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाएमान रखने हेतु प्रभारी यातायात को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्री योगेश कुमार यादव यातायात प्रभारी द्वारा ट्राफिक चौराहा कर्वी में बिना हेलमेट/सीट बेल्ट/03 सवारी एवं टैम्पो, बस,जीप डग्गामार वाहनों की सघन चेकिंग की गयी । यातायात प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान ओवरब्रिज पर अवैध रूप से खड़ाकर सवारी भरने वाले डग्गामार वाहन चालकों को हिदायत दी गयी कि निर्धारित स्थान से ही सवारी ले एवं ओवरब्रिज पर अनावश्यक वाहन खड़ा न करें। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर नियमों का पालन करते हुए धीमी गति से वाहन चलाने हेतु बताया गया। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट/शीट

बेल्ट/ 03 सवारी, ओवरब्रिज पर अवैध रूप से खड़े डग्गामार वाहनों का चालान किया गया। यातायात प्रभारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 46 वाहनों का 49000/- रूपये पेण्डिंग ई-चालान किया गया एवं 01 दो पहिया वाहन को धारा 207एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।